सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 19 राँची, बुधवार, 16 अग्रहायण, 1938 (श०)
7 दिसम्बर, 2016 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

6 दिसम्बर, 2016

संख्या-एल०जी०-22/2016-189/लेज०-- झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक **25 नवम्बर, 2016** को अनुमति दे चुकी हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016

(झारखंड अधिनियम संख्या-25,2016)

प्रस्तावनाः-

चूँकि सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने की शिकायतें पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग को मिलती रहती हैं । ऐसे में मात्र आरक्षण हेतु किसी वर्ग का चयन करना पर्याप्त नहीं है परन्तु आरक्षण दिये जाने हेतु चिन्हित वर्गों को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में राज्य में लागू आरक्षण नीति

के नियमानुसार आरक्षण प्राप्त हो यह सुनिश्चित कराना आवश्यक है । अतएव पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग के कृत्य में अतिरिक्त प्रावधान किया जाना आवश्यक है ।

अतः भारत के गणराज्य के 67 वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः-

(1) संक्षिप्त नाम, एवं विस्तार और प्रारम्भ-

(i) यह अधिनियम "झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016" कहलाएगा ।

(ii) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

(2) झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 9 में उपधारा 9(3) (क) एवं (ख) निम्नवत अतः स्थापित किया जाता हैः-

धारा 9 (3) (क) संविधान के तहत तथा राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, नियम अथवा अनुदेश के अंतर्गत अधिकार एवं संरक्षण से वंचित रहने तथा लोक सेवाओं, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गों के लिए अनुमान्य आरक्षण के संबंध में प्राप्त विशिष्ट शिकायतों की जांच करेगा एवं राज्य सरकार को यथोचित सलाह देगा ताकि राज्य सरकार उस पर उचित कार्रवाई कर सके ।

(ख) समय-समय पर सरकार के द्वारा आयोग को सौंपे गये अन्य कार्यों का निष्पादन भी आयोग द्वारा किया जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

6 दिसम्बर, 2016

संख्या-एल० जी०-22/2016-190/लेज०-- झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक **25 नवम्बर, 2016** को अनुमत **झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

Jharkhand State Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 2016

(**Jharkhand Act -25, 2016**)

Introduction

Because the State Commission for Backward Classes receives complains regarding non-compliance of the State reservation rules in appointment in government jobs and admissions in the educational institutions. In the stated circumstance, it is not enough just to select classes for availing reservation but it is necessary to ensure that the reserved classes do get benefits of reservation in admissions in the educational institutes and in appointment in government jobs. Therefore, it is must to have additional provision in the Functions of the State Commission for Backward Classes.

Hence, in the 67th year of the Republic of India, the Jharkhand Legislative Assembly makes the following act:-

1) Short title, extent and commencement -

(i) This act will be called "Jharkhand State Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 2016

(ii) This will be applicable with immediate effect.

2) In the Article (9) of the Jharkhand State Commission for Backward Classes Act, 2002" the sub article 9(3)(a) and (b) are inserted as follows-

9(3)(a) The Commission shall examine the complaints under any other law, rules or instructions, for the time being inforce, under the Constitution and by the State Government, debarring from rights and protection and

reservation admissible for Backward Classes for the entrance in public services and educational institutions and tender appropriate advice so that the State Government may take necessary action in this regard.

(b) Execution of other works referred by the Government to the Commission from time to time also shall be performed by the Commission.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 19--50